1. प्रहलाद उम्र लगभग 70 वर्ष, पिता गौरीशंकर यादव, व्यवसाय काश्तकारी, निवासी ग्राम पिड़गॉव तह. व जिला हरदा म.प्र.

.....आवेदक / उत्तरवादी

श्री दिलावर खान अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 2-7-15 को गोपाल केस पर उपस्थित। 2-7-15

//विरूद्ध//

1. मोहम्मद हुसैन आ.स्व. हाज़ी जमाल, आयु 35 वर्ष
2. मोहम्मद हनीफ आ. हाजी जमाल, आयु 32 वर्ष
3. मोहम्मद रफीक, आयु 29 वर्ष, वल्द स्व. हाजी जमाल
4. मोहम्मद इकबाल आयु 26 वर्ष, वल्द हाजी जमाल

चारों निवासी मानपुरा हरदा, तहसील व जिला हरदा

4-7-15

5. झाबुद्दीन वल्द स्व. अलादीन, आयु 50 वर्ष
6. साबुद्दन वल्द अलादीन, आयु 46 वर्ष
7. सिराजुद्दीन वल्द अलादीन, आयु 40 वर्ष

तीनों निवासी मानपुरा, हरदा, तहसील व जिला हरदा

8. सुगरानी पत्नि स्व. बफाती, आयु 70 वर्ष
9. सलीम, आयु 45 वर्ष, वल्द बफाती
10. कलीम वल्द स्व. बफाती, आयु 43 वर्ष

दोनों निवासी मानपुरा, तहसील व जिला हरदा

11. बदरून बी पत्नि शकील गौरी, पुत्री बफाती

निवासी सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद

[redacted]

12. सलमा बी पत्नि इदरीश गौरी, आयु 45 वर्ष, पुत्री बफाती

निवासी मस्जिद मोहल्ला सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद

13. रजिया बी पत्नि श्री साबुद्दीन

निवासी मस्जिद मोहल्ला, टिमरनी, तहसील टिमरनी, जिला हरदा

14. हाजी रज्जाक वल्द स्व. हाजी सुबराती

15. हाजी इब्राहिम वल्द स्व. हाजी सुबराती, आयु 63 वर्ष

16. हाजी निजाम वल्द स्व. हाजी सुबराती

17. हाजी याकूब वल्द स्व. हाजी सुबराती, आयु 58 वर्ष

सभी निवासी मानपुरा, हरदा तहसील व जिला हरदा

18. अब्दुल कादिर, आयु 55 वर्ष वल्द बाबूजी

निवासी बीड़–मूंदी, तहसील छनेरा, जिला खण्डवा

19. सलीम वल्द स्व. बाबूजी, आयु 30 वर्ष

निवासी बीड़–मूंदी, तहसील छनेरा, जिला खण्डवा

.....अनावेदकगण/अपीलार्थीगण

श्रीमान्,

आवेदक प्रतिअपीलार्थी न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, हरदा के द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 25–ए–06 सन् 2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2015 जिसके द्वारा अनावेदकण/अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 समयावधि अधिनियम का स्वीकार किया जाकर राजस्व प्रकरण क्र. 22–अ/46 वर्ष 1976–77 ग्राम पिड़गॉव में न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय का आदेश दिनांक 27.03.1978 को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक R-2102 –पीबीआर/15 जिला हरदा

था दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–7–2015	आवेदक एवं केबियटकर्ता के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.5.2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील ग्राह्य की गई है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21.5.2015 निरस्त किया जाकर, प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करें । यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	